**न्यायिक पृथक्करण के लिए याचिका**

जिला न्यायालय ...............................

वाद सं................... सन .........................

**अबक**  ...............याची

बनाम

**कखग**  ..............प्रत्यर्थी

**विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का सं. 43) की धारा 23 के अधीन न्यायिक पृथक्करण के लिए याची निम्नलिखित रूप में प्रार्थना करता है -**

1. याची प्रत्यर्थी का पति / पत्नी है। पक्षकारों के विवाह को अनुष्ठापित किया गया और तारीख ............................ को ............................, में ............................ के विवाह अधिकारी द्वारा अधिनियम के अध्याय II/ अध्याय III के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया। विवाह के प्रमाणपत्र की एक प्रमाणित प्रतिलिपि इस याचिका के साथ उपाबद्ध की जाती है।
2. विवाह के पूर्व तथा याचिका को दाखिल करने के समय पर विवाह के पक्षकारों का स्तर एवम् निवास स्थान निम्नलिखित रूप में है –

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| पति | | |
|  | विवाह के पूर्व | याचिका को दाखिल करने के समय पर |
| स्तर |  |  |
| आयु |  |  |
| निवास स्थान |  |  |
| पत्नी | | |
|  | विवाह के पूर्व | याचिका को दाखिल करने के समय पर |
| स्तर |  |  |
| आयु |  |  |
| निवास स्थान |  |  |

1. [इस पैरा में संतानों के नामों का कथन करे यदि उनकी जन्म-तिथि या आयु के साथ-साथ विवाह का कोई हो]
2. प्रत्यर्थी ............................ [न्यायिक पृथक्करण के लिए उपलब्ध आधारों में से एक या अधिक पर यहाँ अभिवचन किया जा सकेगा। आरोपित किये गये वैवाहिक अपराधों का उल्लेख अभिकथित उनके कारित किया जाने के समय एवम् स्थान सहित पृथक पैरा में किया जाना चाहिए। जिन तथ्यों पर अनुतोष का दावा आधारित बनाया जाता है उनका विवरण नियमों के अनुसार तथा वैसे किया जाना चाहिए जैसे मामले की प्रकृति अनुज्ञा प्रदान करती है।]
3. (जहाँ याचिका का आधार जारकर्म है), याची किसी भी रीति से जारकर्म के अनुषंगिक नहीं है या उसको मौनानुमति नहीं दी है या उसको दोष मार्जित नहीं किया है।
4. (जहाँ याचिका का आधार क्रूरता है) याची ने किसी भी रीति से क्रूरता का दोषमार्जन नहीं किया है।
5. जहाँ याचिका दाखिल करने में कोई अनुचित अनावश्यक या अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है।
6. याचिका प्रत्यर्थी के साथ दुरभि संधि में नहीं प्रस्तुत की जाती है।
7. इसका कोई अन्य विधिक आधार है कि अनुतोष क्यों नहीं मंजूर किया जाना चाहिए।
8. पक्षकारों के द्वारा या उनकी ओर से विवाह के बारे में कोई पूर्व कार्यवाही नहीं की गयी है।

या

पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से विवाह के बारे में निम्नलिखित पूर्व कार्यवाही नहीं है।

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | पक्षकारों के नाम | अधिनियम की धारा के साथ कार्यवाही की प्रकृति | मामले की सं. एवं तारीख तथा वर्ष | न्यायालय का नाम एवं अवस्थित | परिणाम |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

1. विवाह ............................ में अनुष्ठापित किया गया पक्षकारगण ............................. में अंतिम बार साथ-साथ रहते थे।

पक्षकारगण............................में इस समय निवास कर रहे हैं।

(इस न्यायालय की साधारण आरम्भिक अधिकारिता की परिसीमाओं के अन्दर)

1. याची निवेदन करता है कि इस आदरणीय न्यायालय के पास ग्रहण करने की अधिकारिता होती है।
2. अतएव याची के विरुद्ध प्रत्यर्थी के विरुद्ध न्यायिक पृथक्करण के लिए एक डिक्री के लिए निवेदन करता है।

याची

सत्यापन

ऊपर नामित किया गया याची सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान पर कथन करता है कि याचिका के पैरा............. लगायत ................ याची की जानकारी में सत्य है और पैरा ................लगायत................... उसके द्वारा प्राप्त की गयी एवम् सत्य होना मानी गयी याची की सूचना में सत्य है।

.............. में इस तारीख ............... को सत्यापित किया गया। ................

याची स्थान